तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.9.25	पत्रावली आज लोक अदालत मे रखी गई। पत्रावली मे वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा राजगढ़ प. हराजगढ के खाता स. 256 आ.स. 370, 371, 372, 373, 376, कुल किता 05 कुल रकबा 2.0100 हे. भूमि मे प्रार्थीया का बोलता नाम काली बाई है। जबकि प्रार्थीया का विवाह होने के बाद उसके ससुराल के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि मे रेखा अंकित हो गया। अतः प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त आराजीयात मे प्रार्थीया का नाम काली बाई उर्फ रेखा देवी पुत्री काना के नाम दर्ज किया जावे। प्रकरण मे वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गई, प्रकरण मे बहस सुनी जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत पैरोकार तहसीलदार बेगू के जवाब प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया जिसमे तहसीलदार बेगू ने भू.अ. निरीक्षक व पटवारी द्वारा जाँच करवाई गई जिसमे प्रार्थीया का बोलता नाम काली बाई पुत्री काना अंकित होना बताया जबकि रेखा देवी एवं काली बाई एक ही महिला है। काली बाई का सभी दस्तावेजों मे नाम रेखा बाई है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है का अंकन है। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज, जन आधार बैंक पास बुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, की छाया प्रति प्रस्तुत है। जिन का अवलोकन किया गया, इन सभी दस्तावेजो रेखा देवी पति ओम प्रकाश शर्मा दर्ज अंकित है। प्रकरण मे प्रार्थीया व शान्ता देवी पुत्री काना ब्राह्मणा के साक्ष्य शपथ पत्र प्रार्थीया दोनो का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थीया का नाम रेखा देवी शर्मा दर्ज अंकित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 L.R.A का तहसीलदार बेगू के जवाब प्रा.पत्र दस्तावेजो एवं बयानो के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बेगू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड के खाता स. 256 की आ.स. 370, 371, 372, 373, 376, कुल किता

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	05 कुल रकबा 2.0100 है. भूमि मे खातेदार काली बाई पुत्री काना के स्थान पर काली बाई उर्फ रेखा देवी पुत्री काना ब्राह्मण किये जाने के आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार नेंगू को दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	